


3



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प सागर ,म.प.

प्रकरण क्रमांक

निग-348-I-16

कालू वल्द हरजुवा बसोर

निवासी-जटकरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर

... निगरानीकर्ता

॥ बनाम ॥

भासन म.प.

... गैरनिगरानीकर्ता

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प. भू. रा. संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के प्रकरण
क्रमांक 35/अ-21/15-16 आदेश दिनांक 21.9.2016

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय पेश है:-

1. यह कि, भूमि खसरा नंबर 882/2 रकवा 1.016 हे० स्थित
मौजा बेनीगंज तहसील राजनगर जिला छतरपुर का पट्टा निगरानीकर्ता
के को मण्डल चन्द्रनगर तहसील राजनगर के प्रकरण क्रमांक 3/अ-19/98-99
आदेश दिनांक 9.3.1999 के तहत प्राप्त हुआ था। पट्टा प्राप्ति के पश्चात्
निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज व दाखिल है।

2. यह कि, उक्त भूमि कृषि हेतु अनुपयुक्त तथा शुष्क उबड़ खाबड़
होने के कारण उसमें अधिक धन व श्रम व्यय करने के बावजूद कृषि योग्य नहीं
बनाया जा सका तथा उक्त भूमि में कोई सिंचाई का साधन आदि नहीं है।

3. यह कि, निगरानीकर्ता के परिवार का उक्त भूमि की
आय से भरण पोषण नहीं हो पाने के कारण तथा विक्रय में समुचित प्रतिफल
प्राप्त होने की वजह से वास्ते विक्रय हेतु आप कलेक्टर महोदय छतरपुर को
आवेदन दिया था जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मामले की
परिस्थितियों पर विचार किये बिना साइक्लोस्टाइल प्रोफार्मा में एडि

R
1/19

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3418-1/16 निगरानी


जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
B-10-16	<p>यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्र. 35/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2. प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर छतरपुर के समक्ष भूमि ख.नं. 882/2 रकवा 1.016 हे. स्थित ग्राम बेनीगंज तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें स्पष्ट रूप से लेख किया कि भूमि उबड़ खाबड़ एवं पथरीली होने से उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा काफी व्यय किये जाने के उपरांत उक्त भूमि से भरण-पोषण एवं आय प्राप्त नहीं हो रही है जिससे आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर विक्रय राशि से व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण-पोषण करना चाहता है। जो कि विक्रय की अनुमति प्रदान करने हेतु समुचित कारण है। किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों पर विचार किये बगैर आवेदन विलम्बित करने की आशय से आदेश दिनांक 21.09.2016 को जांच हेतु भेज दिया जो कि गलत है। इसे निरस्त किया जाकर निगरानी कर्ता को विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे।</p> <p>3. निगरानी कर्ता के अभिभाषक एवं शासन की ओर से</p>	

सिमा 3418.7/16 (उत्तर)


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>पेनल अधिवक्ता तर्क सुने तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।</p> <p>4. आवेदक के अभिभाषक अनिल पाठक ने तर्कों में बताया कि ग्राम बैनीगंज स्थित भूमि खसरा नं. 882/2 रकबा 1.016 हे. भूमि का पट्टा मंडल चंदनगर तह. राजनगर जिला उत्तरपुर के प्रकरण क्र. 3/अ-19/1998-99 आदेश दिनांक 09.03.1999 के तहत प्राप्त हुआ था। तब से निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। उसने काफी श्रम एवं पैसा खर्च कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का काफी प्रयास किया लेकिन लागत के मुताबिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होने से भूमि विक्रय हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। शासन की गाइड लाइन अनुसार उसे प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। पट्टे प्राप्त होने के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक समय का अर्थात् 17 वर्ष व्यतीत होने के बाद अधिनियम की धारा 158 (3) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत कोई भी व्यक्ति भूमि का उपयोग अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। जैसा कि न्यायालय के पूर्व न्यायदृष्टांत दया शंकर बनाम हरेराम एवं 2011 एवं 426 में के सिद्धांत को मान्य किया है। इसी प्रकरण आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति विरुद्ध म. प्र. राज्य एक अन्य 2013 रा.नि. 8 माननीय उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है।</p> <p>1. भू-राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)-धारा 165 (7ख) 158</p>	


B/Ax



निगाह 3418-9/16 (कलकत्ता)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>(3) का लागू होना—उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये बिना अनुमति के भूमि का अंतराल—उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—उपबंध आकर्षित नहीं होते। भूमि स्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।</p> <p>(2) विधि का निर्वचन का सिद्धांत—नवीन उपबंध का अंतः स्थापन—भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभाव होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।”</p> <p>2. दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामाबाई 2004 रा.नि. 183 में व्यवस्था दी गई है कि भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 165 (7-ख) सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित किये भूमि का विक्रय कर सकता है कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।</p> <p>5. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं मान्नीय न्यायालय के समक्ष खसरे की नकल पट्टे की नकल, लगान की रसीदे, प्रस्तुत की है। जिससे प्रमाणित है कि आवेदक को पट्टा प्राप्त हुये 10 वर्ष से अधिक हो गया है। भूमि की विक्रय की अनुमति दिये जाने में कोई वैधानिक अवरोध नहीं है। उक्त स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को विक्रय की अनुमति प्रदान करना चाहिये थी। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न देकर आवेदक को विलंबित करने के</p>	





R 3418 17/16 [दस्तावेज]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>उद्देश्य से दिनांक 21.09.16 को जांच हेतु आदेश दिये गये जो न्याय उचित नहीं है। पेनल अधिवक्ता द्वारा शासन से प्राप्त भूमि की विक्रय की अनुमति न दिये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है कि आवेदक रिकार्डेड भूमि स्वामी है अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 21.09.2016 को प्रकरण के जांच हेतु निर्देश दिये हैं जिसकी निगरानीकर्ता द्वारा चाही गई राहत जो तुरत प्रगति की है। विलंबित होगी जिससे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2016 न्यायोचित न होने से निरस्त किया जाता है। निगरानीकर्ता भूमि खसरा नं. 882/2 रकबा 1.016 हे. स्थित मौजा बेनीगंज तह. राजनगर जिला छतरपुर की भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। उपपंजीयक राजनगर को निर्देशित किया जाता है कि विक्रेता को विक्रय राशि प्राप्त होने की संतुष्टि के उपरांत निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र को आवश्यक रूप से विधि अनुसार निष्पादित करें। प्रकरण खारिजी दर्ज कर दाखिल अभिलेखागार हो। आदेश के प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।</p>	




सदस्य